संख्याः 2222/XXIV-3/08/02(28)2005.

प्रेषक,

डा0 राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनांकः 30 दिसंबर, 2008

विषयः– राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 5(ख)1/28850/जीर्ण–शीर्ण/2008–09; दिनांकः 03 नवम्बर, 2008 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्याः 182/XXIV-3/2006 दिनांकः 23.03.2006 तथा शासनादेश संख्याः 272/XXIV-3/2006 दिनांकः 16 मई, 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निम्नतालिका में उल्लिखित राजकीय इण्टर कालेजों के चालू भवन निर्माण कार्यों हेतु स्तम्भ–3 पर अनुमोदित लागत के सापेक्ष स्तम्भ–4 पर पूर्व में स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में स्तम्भ–5 पर अंकित विवरणानुसार कुल रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि को शासनादेश संख्याः 657/XXIV-3/08/02(37)/2008 दिनांकः 16 अप्रैल, 2008 द्वारा प्रश्नगत योजना में आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 1500.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	आगणन की अनुमोदित लागत	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
01	रा0इ0का0 खुमाड़, अल्मोड़ा	65.44	35.44	30.00
02	रा0इ0का0 चौनलिया, अल्मोड़ा	47.97	27.97	20.00
03	रा0इ0का0 भौनखाल, अल्मोड़ा	74.36	44.36	30.00
04	रा0इ0का0 सराईखेत, अल्माड़ा	48.55	28.55	20.00
	कुल योग	236.32	136.32	100.00

(1)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

क्रमशः–2

(2)– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी. बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य न किया जाय।

(3)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नार्म है. स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4)– एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मद्दे नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(6)– कार्य करानें से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च–अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के बाद स्थल पर प्राप्त आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(7)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय. एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(8)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(9)– यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी. स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय न किया जाय।

(10)– निर्माण गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(11)– कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु समयसारिणी निर्धारित करते हुए तथा कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्य को समयबद्ध ढ़ग से शीघ्र पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय. विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा.

2– उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखा शीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–202–माध्यमिक शिक्षा–00–आयोजनागत–11–राजकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के भवनहीन/जीर्ण–शीर्ण भवनों का निर्माण–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

क्रमशः–3

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 267/XXVII(1)/08; दिनांकः 27 मार्च, 2008 द्वारा प्रदत्त निदेर्शो के क्रम में निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

/

(डा0 राकेश कुमार)
सचिव।

संख्याः 2222(1)/XXIV-3/08/02(28)2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– मण्डलायुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
6– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्ड़ल–नैनीताल।
7– जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
8– कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
10– जिला शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा।
11– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ।
12– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)।
13– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
14– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
15– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0पी0तिवारी)
अनु सचिव